



झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

स्वीकृत्यादेश संख्या-03/गोताखोर (बीमा)-03/2026-315(स्वी)/प्र.प्रा., राँची दिनांक-12.03.2026

प्रेषक,

विप्रा भाल, भा०प्र०से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
झारखण्ड।

विषय — वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत अंतर्गत गोताखोरों (आपदा मित्रों) के जीवन बीमा कराने हेतु The New India Assurance Company Ltd., मेन रोड, राँची को 48 गोताखोरों (आपदा मित्रों) के बीमा प्रीमियम की राशि राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कुल 3,168/- (तीन हजार एक सौ अड़सठ) रुपये मात्र की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश — स्वीकृत।

2. उक्त स्वीकृत राशि वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-338/बजट, दिनांक-28.03.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के निम्न वर्णित बजट शीर्ष के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा :-

बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य लघु शीर्ष-101-विनाश का सामना करने के प्रशिक्षण केन्द्र उप शीर्ष-16-वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में क्षमता संवर्द्धन विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय 35-प्रशिक्षण व्यय विपत्र कोड-39-S-2245-80-101-16-00-03-35	3,168/- (तीन हजार एक सौ अड़सठ) रुपये मात्र।

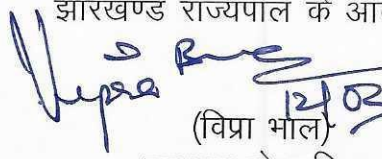
3. यह स्वीकृति राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक-13.10.2025 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय-08 के आलोक में प्रदान की जा रही है। उक्त निर्णय निम्नवत् है :-

"राज्य में पानी में डूबने की घटना के आलोक में राहत एवं बचाव कार्य हेतु चिह्नित गोताखोर को Deep Diving संबंधी प्रशिक्षण की अवधि में उन्हें प्रतिदिन 500/- रुपये की दर से राशि का भुगतान तथा बचाव कार्य के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना को दृष्टिगत रखते हुए उनका जीवन बीमा कराये जाने एवं Deep Diver के रूप में कार्य करने की अवधि तक प्रतिवर्ष जीवन बीमा का नवीनीकरण किये जाने के प्रस्ताव पर राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।"

4. चिह्नित The New India Assurance Company Ltd., मेन रोड, राँची को 48 गोताखोर (आपदा मित्र) के बीमा कराने हेतु प्रीमियम की राशि प्रति गोताखोर (आपदा मित्र) 250/- की दर से 96 दिनों के लिए कुल प्रीमियम की राशि 3,168/- (तीन हजार एक सौ अड़सठ) रुपये की राशि का भुगतान किया जाना है।

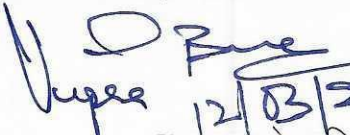
12/03/2026

5. इस स्वीकृत राशि से चिह्नित The New India Assurance Company Ltd. द्वारा समर्पित विपत्र के विरुद्ध निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची द्वारा विधिवत निकासी कर भुगतान किया जायेगा।
6. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय निर्धारित मद-मापदण्डों के अनुसार उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए राशि स्वीकृत की जा रही है।
7. स्वीकृत राशि के व्यय हेतु झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 174 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा। राशि कोषागार से निकालकर किसी भी परिस्थिति में बैंक खाते में नहीं रखा जाय।
8. किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन नहीं किया जायेगा। राशि की निकासी के तुरंत बाद विहित प्रपत्र में विवरणी विभाग को समर्पित की जायेगी। राशि की निकासी नहीं होने की स्थिति में राशि का प्रत्यर्पण वर्षांत के पूर्व ऑन-लाईन करने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।
9. (i) प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध कराई गई राशि के विरुद्ध उसके द्वारा विस्तृत व्यय विवरणी समर्पित की जायेगी।
(ii) व्यय के पश्चात् विभाग को विहित पत्र GFR19-A में प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जायेगा।
(iii) स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य शीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों में वर्गीकरण त्रुटियों की जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
(iv) महालेखाकार से मासिक/त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा सत्यापन का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।
10. दिनांक-13.10.2025 को मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
11. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(विप्रा भाल)
सरकार के सचिव।

ज्ञापक:—03/गोताखोर (बीमा)—03/2026-315(खी)/प्र.प्रा., राँची दिनांक-12.03.2026

प्रतिलिपि:— माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/The New India Assurance Company Ltd., मेन रोड, राँची/अवर सचिव, प्रशाखा-12 (स्टेट पोर्टल पर अपलोड हेतु), गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची एवं संबंधित प्रशाखा-08, आपदा प्रबंधन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।



ऑनलाइन स्वीकृत्यादेश संख्या :- 2506

पत्रांक संख्या :- 315(SWI)

झारखण्ड सरकार

पत्रांक दिनांक :- 12/03/2026

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)
स्वीकृत्यादेश

प्रेषक,

विप्रा भाल
सचिव

टी०ए०डिवीजन बिल्डिंग, गोलचक्कर धुर्वा, राँची, झारखण्ड-834004

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
महालेखाकार ,झारखण्ड का कार्यालय ,
पोस्ट - डोरंडा ,राँची ।

द्वारा- *आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय : वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
अंतर्गत गोताखोरों (आपदा मित्रों) के जीवन बीमा कराने हेतु THE NEW INDIA
ASSURANCE COMPANY LTD., मेन रोड, राँची को 48 गोताखोरों (आपदा मित्रों)
के बीमा प्रीमियम की राशि राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कुल 3,168/- (तीन
हजार एक सौ अड़सठ) मात्र की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत ।

- 1.) व्यय का विकलन मांग सं०- 39 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के, राज्य
मुख्यशीर्ष - 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
उपमुख्य शीर्ष - 80-सामान्य
स्थापना व्यय

17/03/2026

लघुशीर्ष	राशि
101-विनाश का सामना करने के प्रशिक्षण केन्द्र	□3,168.00
कुलराशि :-	
	□3,168.00

विपत्र कोड का विवरण, जहाँ से राशि की निकासी की जानी है।

विपत्र कोड	उप शीर्ष	इकाई	योजना
39S224580101160335	16 - वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में क्षमता संवर्द्धन	35 - प्रशिक्षण व्यय	

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपबंधित बजट प्राक्कलन से किया जायेगा।

2.) राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी VIJAY KUMAR (PRJRRAN001), UNDER SECT DISTER MANEGEMENT होंगे तथा राशि □3,168.00/- की निकासी Project Bld कोषागार से की जाएगी।

3.) प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

4.) महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध (सहायता ,अनुदान ,वैवेकिक अनुदान, नई स्थापना एवं ऋण तथा अग्रिम के मामले में)

Vijay Kumar
17/03/2026

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से